(377) (253)

पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित / विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

दो रुपये TWO RUPEES विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

नि0 - 3993/2018/सतना/भू.रा0

रमाकान्त त्रिपाठी पिता स्व0 पुरूषोत्त त्रिपाठी उम्र 54 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम करही लामी पोस्ट करही लामी तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 ....निगराकार

बनाम

संगीता सिंह पति जयभान सिंह निवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 ....गैरनिगराकार

अधि0 श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा पेश। 29-6-18

निगरानी विरूद्ध रा0प्र0क्र0 96अ12/17–18 आदेश दिनांक 28.05.2018 न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत्त मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

यह कि आवेदक /निगराकार ग्राम करही लामी तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 का निवासी है तथा आ0नं0 97/1/क/2/2 रकवा 0.955 हे0 ग्राम पड़रिया खुर्द की आराजी है आवेदक /निगराकार के पास ग्राम पड़रिया खुर्द की उक्त आराजी के अलावा भी अन्य कंई आराजियॉ है तथा ग्राम रिमार ग्राम करही लामी में भी आराजियॉ है। उक्त विवादित आराजी 97/1क/2ख/2 के अलावा अन्य कई आराजियॉ है तथा सभी आराजियॉ पैत्रिक आराजियॉ है जिसमें आवेदक का 1/5 हिस्सा है तथा मौके पर आराजी नं0 97/1क/2/2ख में आवेदक /निगराकार बंटवारा अनुसार काबिज है व खेती काश्तकारी करता है तथा आराजी नं0 97/1क/2/2ख में

(253)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/3993/म.प्र./2018 जिला सतना

रमाकांत विरूद्ध संगीता सिंह

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 96/अ12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 28-5-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	